गर्भाशय में ग्रीवा के कैंसर का पहले पता लगाने की आवश्यकता

6690. **श्री अनन्तराव देवशंकर दवे:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गर्भाशय में ग्रीवा का कैंसर दूसरा सबसे घातक रोग है और तीन से पांच प्रतिशत तक व्यस्क महिलाओं की मृत्यु इसी प्रकार के कैंसर से होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास इस रोग का पहले पता लगाने तथा इस रोग के निवारण हेतु देश में महिलाओं को भी शिक्षित करने से संबंधित कोई योजनाएं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी॰ शंकरानंद): (क) से (घ) जी नहीं। बहरहाल, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कैंसर की रोकथाम तथा उसका जल्दी पता लगाने पर अब और बल दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत तदनुसार कई नई योजनाएं शुरू की गई हैं। स्वास्थ्य शिक्षा इन योजनाओं का एक महत्वपूर्ण घटक है।

औषधियों की बिक्री हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए मापदण्ड

6691. **श्री गोविन्द राव गिरी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औषधियों की बिक्री हेतु फुटकर दुकानों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु निर्धारित मापदण्ड और योग्यताएं क्या हैं;

(ख) क्या इन मापदण्डों और योग्यताओं का कभी संशोधन किया गया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सामान्य उपभोक्ता की सुविधा तथा औषधियों के सही नाम की जानकारी प्रदान करने हेतु औषधि निर्माताओं के लिए प्रत्येक औषधि का नाम अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में लिखने को अनिवार्य बनाये जाने की ऐसी कोई योजना/प्रस्ताव विचाराधीन है; यदि हां, तो इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी॰ शंकरानंद): (क) और (ख) औषधों की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की शर्तें औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 65 के अंतर्गत निर्धारित की जाती हैं। मिश्रित औषधों के लिए निर्धारित की गई अर्हता फार्मेसी में डिप्लोमा अथवा डिग्री अथवा फार्मेसियुटीकल कैमिस्ट्री अथवा पंजीकृत भेषजज्ञ है जैसा कि फार्मेसी अधिनियम, 1948 में परिभाषित किया गया है। संशोधित अर्हताओं को बताने वाली अधिसूचना का प्रारूप जारी किया गया है जिसमें सुझाव/आपत्तियां, यदि कोई हों, मांगी गई हैं।

(ख) जी हां। 1992 में सभी राज्य आयुर्वेदिक/सिद्ध/यूनानी लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को यह बात सुनिश्चित करने के लिए परामर्श दिया गया है कि पैकिंग पर लगाए गए लेबल हिन्दी/संस्कृत में हों जिसके बाद अंग्रेजी में उसका वानस्पतिक नाम दिया गया हो, एलौपैथिक औषधों के लेबलों के लिए हिन्दी के प्रयोग करने की बात व्यवहार्य नहीं पाई गई है।

गुजरात में अस्पतालों का आधुनिकीकरण किया जाना

6692. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक की सहायता से गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में नए अस्पताल/औषधालय खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी॰ शंकरानंद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Promotion of Ayurvedic Therapy and Research

6693. SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN:
SHRI J.S. RAJU:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be please to state:

(a) whether Govemment are aware of the fact that Ayurvedic treatment has discovered suitable medicines for cancer;

(b) if so, what steps have been taken to

further improve the research by the Ayurvedic doctors: and

(c) what are the programmes ot Government to promote the ancient Ayurvedic treatment keeping in view tin-fact that allopathic doctors have stalled prescribing Ayurvedic tablets and medicines?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND): (a) to (e) Ayurvedic Institutions are engaged in literary research, clinical evaluation of classical drugs pharmacocpial studies, laying down standards for education and practice, drug testing, etc. for establishing the system on an organised scientific manner.

Studies are being conducted for establishing the anti-cancer potentialities of ayurvedic medicines. However, definite conclusions on the efficacy ol these preparations can be arrived at onl\ after scientifically controlled clinical trials.

गुजरात के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाओं का उपलब्ध न होना

6694 **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरौला:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आम बीमारियों के लिए भी दवाओं के उपलब्ध न होने के कारण रोगी समस्याओं का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा इन स्वास्थ्य केन्द्रों को क्या निदेश दिए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या दवाओं के वितरण में सामाजिक कार्यकर्ताओं से सहायता प्राप्त किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी॰ शंकरानंद): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को खोलने और उन्हें उन्नत करने के लिए मापदण्ड

6695. **मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को खोलने के लिए क्या मापदण्ड हैं;

(ख) इस समय देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ग) पिछले वर्ष के दौरान राज्यवार कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए;

(घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को अस्पताल का दर्जा दिए जाने के लिए क्या मापदण्ड है;

(ङ) उत्तर प्रदेश राज्य में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां वे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं जो कि अस्पताल का दर्जा दिये जाने के लिए निर्धारित मापदण्ड को पूरा करते है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी॰ शंकरानंद): (क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मैदानी क्षेत्रों में 30,000 जनसंख्या के लिए और पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्रों में 20,000 जनसंख्या के लिए स्थापित किये जाते है।

(ख) ब्यौरा विवरण I में संलग्न है। **(नीचे देखिए)**

(ग) ब्यौरा विवरण II में संलग्न है। **(नीचे देखिए)**

(घ) से (च) अस्पतालों के रूप में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने के लिए योजना नहीं है। फिर भी, उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि 30 शय्यावाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रूप में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने की एक योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सामान्यतः एक लाख की जनसंख्या या 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए या तहसील स्तर पर स्थापित किये जाते हैं।